न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मु.नं. 64/2020

इन्दुकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.....वादीनी

बनाम

1. पूजाकंवर पुत्री लिछमणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. स्व. किशनकंवर पत्नी रूघसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू

   2/1 जसवन्त सिंह पुत्र रूघसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू

   2/2 देवी सिंह पुत्र रूघसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू

   2/3 उमा कंवर पुत्री रूघसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. प्रेमकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. भंवरसिंह पुत्र बस्तुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. स्व. लक्ष्मणसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. सवाईसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. उमाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
8. नानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
9. भैरूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
10. रणजीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सुल्तानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सडु बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
12. स्टेट बैंक ऑफ बीदासर एण्ड जयपुर शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर
15. उप पंजीयक बीदासर

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन, राजस्व रेकार्ड में संशोधन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :– 1. श्री दीनदयाल प्रजापत एडवोकेट– वकील वादीनी
2. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।
3. एक तरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 13
4. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :–09.09.2021

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि खेत खसरा नं. 428 तादादी 4.7550 हैक्टेयर व खसरा नं. 455 तादादी 7.8787 हैक्टेयर व खसरा नं. 456 तादादी 4.8688 हैक्टेयर कुल किता तीन तादादी 17.5025 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरान संयुक्त खोतदारी के है जिसमें खेत खसरा संख्या 428 में इन्दुकंवर पत्नी हनुमानसिंह 1/9 हिस्सा, किशनकंवर पत्नी रूघसिंह 1/12 हिस्सा, पुजाकंवर पुत्री लिछमणसिंह हिस्सा 1/18, प्रेमकंवर पत्नी मनोहरसिंह हिस्सा 1/12, भंवरसिंह पुत्र बस्तुसिंह हिस्सा 1/4, लक्ष्मणसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा 1/4, सवाईसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/6 ब.हि.बराबर व खेत खसरा संख्या 455 व 456 में इन्दुकंवर पत्नी हनुमानसिंह 1/9 हिस्सा, उमाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/20, किशनकंवर पत्नी रूघसिंह 1/12 हिस्सा, नानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/20, पुजाकंवर पुत्री लिछमणसिंह हिस्सा 1/18, प्रेमकंवर पत्नी मनोहरसिंह हिस्सा 1/12, भैरूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/20, भंवरसिंह पुत्र बस्तुसिंह हिस्सा 1/4, रणजीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/20, सुल्तानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/20, सवाईसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/6 ब.हि.ब. खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा जातों का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नही हुआ है उपरोक्त तीनों खसरान में वादीनी इन्दुकवंर व प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चले आ रहे है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादीनी कानूनी अधिकार रखती है। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का हस्तान्तरण करना चाहते है। जब प्रतिवादीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानियां धमकिया दी कि बिना विभाजन ही अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादीनी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी सं. 01 ता 11 के मन में लालच आ गया है और वे संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत विभाजन के विक्रय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, कुआ खुदवाने निर्माण कार्य करवाने, बैको से ऋण आदि आदि करने पर आमदा है व वादीनी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादीनी का अपने हक हिस्से

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। जिसमें वादीनी इन्दुकंवर की ढाणी बनी हुई है तथा उक्त हिस्सें में पानी का कुण्ड बना हुआ है। प्रतिवादीगण 01 ता 11 वादीनी को एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादगत भूमि को विक्रय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगे इसलिए वादीनी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादीनी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही वादीनी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादीनी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। वादीनी के कब्जा काश्त खेत के आसे-पासे निम्नानुसार है। उतर में पूजाकंवर, दक्षिण में रेवन्तराम जाट, पूर्व में सवाईसिंह राजपुत, पश्चिम में सडक आम है। प्रतिवादीगण 01 ता 11 ने दिनांक 30.04.2020 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विक्रय, हस्तान्तरण कर देगें व बिना विभाजन के ही निर्माण करवा लेगें वादीनी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 15.05.2020 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का वादीनी को कानूनी अधिकार है। वादीनी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहती है वादीनी को वादाधार प्राप्त है। राजस्व वाद वादीनी बहक प्रतिवादीगण के मध्य निजी सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने से प्रतिवादी संख्या 14 को 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। प्रतिवादी संख्या 14 लैण्ड होल्डर होने से राजस्व रिकार्ड कार्यवाही करने के अधिकारी होने से व कानूनी आपतियों को ध्यान में रखकर पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खातेदारी भूमि होने से व भूमि ग्राम तेहनदेसर में स्थित होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद वादीनी द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 13 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से मनोज गोदारा ने वकालत नामा व जवाब दावा पेश नहीं किया। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीनी वकील ने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीनी के वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीनी हेतु कायम की गई। वादीनी इन्दूकंवर के बयान प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र लेखबद्व करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श पी.1, नक्शा प्रदर्श पी.2, जमाबंदी प्रदर्श पी.3, नक्शा प्रदर्श पी.4 प्रदर्शित करवाये। वकील वादीनी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादीनी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी अपने कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में उपरोक्त वर्णित आसापासा अनुसार विभाजन चाहती है। उपरोक्त वर्णित आसापासा अनुसार वादीनी की हिस्सा भूमि (1.9447 हेक्टेयर) सम्पूर्ण खसरा संख्या 455 तादादी 7.8787 हेक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी कुंट में आती है। वादीनी अपने कब्जा काश्त अनुसार विभाजन चाह रही है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि में वादीनी की 1/9 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण (1.9447 हेक्टेयर) का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर खसरा संख्या 455 तादादी 7.8787 हेक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी कुंट में किया जाकर लगान का विभाजन किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम यथावत संयुक्त रखी जावे। तहसीलदार बीदासर को मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner